कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 535 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 14.04.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु, पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 424 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनाक 19.03.2020, एवं आदेश क्रमांक 426 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 22.03.2020, तथा आदेश क्रमांक 521 / अ.जि.द / एस.डब्लयू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 06.04.2020, के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर, सपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973, के अधीन धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है, कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ शासन के द्वारा भी समय–समय पर यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए, इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा, से आज प्राप्त पत्र क्रमांक पु.अ. / व–बा. / रीडर–1 / एस–563–सी / 2020, दिनाक 14.04.2020, द्वारा भी लेख किया गया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु पूर्व में जारी दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत आदेशों को, आगे दिनांक 03.05.2020 तक के लिए बढ़ाये जाने की अनुशंसा की गई है।

3. अदयतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः, संक्रमण से बचाव हेतु जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले मे कार्यालयीन आदेश क्रमाक 424 / अजिद / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 19.03.2020 एवं आदेश क्रमांक 426 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 521 / अजिद / एस.डब्लयू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 06.04.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973, के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि की जावे।

यहाँ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले मे निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः, एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अंतर्गत बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करना उचित है।

4. अतः मैं कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा, कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 424 / अजिद / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 19.03.2020 एवं आदेश क्रमांक 426 / अजिद / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 521 / अजिद / एस.डब्लयू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 06.04.2020 द्वारा, संपूर्ण बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि कर **(शेष सभी शर्तें यथावत रखते हुए)** दिनांक 03 मई, 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ।

5. महामारी रोग अधिनियम, 1897, तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1, दिनांक 13.03.2020, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 454 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 24.03.2020 एव आदेश क्रमांक 489 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनाक 31.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 523 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू. / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 08.04.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः, उक्त तीनों (03) आदेशों द्वारा कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेंगी।

यह आदेश बलौदाबाजार–भाटापारा की संपूर्ण सीमा–क्षेत्र के लिये दिनांक 03 मई, 2020 (11:59 PM तक) या अग्रिम आदेश, जो पहले आये, तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 14.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

District Magistrate * Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

14-04-2020

(कार्तिकेया गोयल) IAS
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner

पृ. कमांक / 536 / अजिद / वा–2 / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 14.04.2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग, मत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला पंचायत, सभी जनपद पचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
9. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
12. तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पचायत बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ, अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराने एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व विभाग प्रमुख, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसपर्क विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
16. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

14-04-2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner